



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़  
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)  
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752  
www.pssou.ac.in, E-mail - registrar@pssou.ac.in

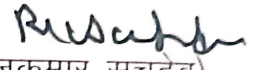
क्रं. १३६ / कु.स. / १८,

बिलासपुर, दिनांक १९/०४/२०१८

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की ७० वीं बैठक दिनांक २९/०३/२०१८ के प्रस्ताव क्रमांक ०६ में अनुमोदित "शोध छात्रवृत्ति नियम, २०१८" को इस विश्वविद्यालय के लिये तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

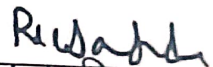
कार्यपरिषद् के आदेशानुसार

  
(डॉ. राजकुमार सचदेव)  
कुलसचिव

पृ. क्रं. १३९ / कु.स. / १८,  
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक १९/०४/२०१८

१. निज सचिव, कुलपति/निज सहायक, कुलसचिव को माननीय कुलपति एवं कुलसचिव के सूचनार्थ।
२. क्षेत्रीय निदेशक, (क्षेत्रीय सेवा प्रभाग) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
३. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (वित्त विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
४. विभागाध्यक्ष हिन्दी/राजनीति विज्ञान/समाजशास्त्र/लाइब्रेरी साइंस/मनोविज्ञान/प्रबंधन/कम्प्यूटर साइंस/शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
५. प्रभारी वेब सेल को इस निर्देश के साथ कि इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करें।
- ✓ ६. नस्ती हेतु।

  
कुलसचिव

०/८

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
शोध छात्रवृत्ति नियम, 2018

(पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा 5(7) तथा विश्वविद्यालय  
परिनियम क्रमांक 03 (ए) की कंडिका 22 के प्रावधानानुसार)

1. उद्देश्य -

यह नियम विश्वविद्यालय के इस संकल्प को पूरा करता है कि विश्वविद्यालय में पी.-एच.डी. पाठ्यक्रम में पंजीकृत ऐसे मेधावी शोधार्थी जिन्हें छ.ग शासन अथवा किसी अन्य स्रोतों से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है, को विन्हित कर उन्नत अध्ययन एवं शोध कार्य हेतु वित्तीय सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान किया जाय।

2. छात्रवृत्ति की पात्रता -

शोध-छात्रवृत्ति हेतु निम्न शोधार्थी पात्र होंगे -

- 2.1 ऐसे शोधार्थी जो पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर में अध्यादेश क्रमांक 02 के अनुसार पी.-एच.डी. पाठ्यक्रम में नियमित पूर्ण कालिक शोधार्थी के रूप में विधिवत पंजीकृत हों।
- 2.2 ऐसे शोधार्थी जिन्हें किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय या अन्य संस्थानों से पी.-एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु किसी भी प्रकार से वित्तीय सहायता, फेलोशिप या छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है।

3. छात्रवृत्ति की राशि -

- 3.1 पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर के अध्यादेश क्रमांक 02 के अनुसार पी.-एच.डी. पाठ्यक्रम में नियमित शोधार्थी के रूप में पंजीकृत होने पर छात्रवृत्ति के रूप में प्रतिमाह रु. 10,000/- (दस हजार) तथा आकस्मिक व्यय के रूप में प्रतिमाह 1,500/- (एक हजार पांच सौ) की प्रतिपूर्ति नियमानुसार किया जायेगा।
- 3.2 यह भी कि छात्रवृत्ति हेतु चयनित शोधार्थी को रिसर्च डिग्री कमेटी के द्वारा शोध कार्य हेतु पंजीयन/अनुमति पश्चात् ही छात्रवृत्ति स्वीकृत किया जायेगा।
- 3.3 शोध छात्रवृत्ति की संख्या का निर्धारण कार्य परिषद् द्वारा किया जायेगा।

3.4

इस नियम के तहत शोध छात्रवृत्ति दो साल के लिये शुरू किया जायेगा। इस अवधि के समाप्ति से पहले, शोध कार्य का मूल्यांकन तीन सदस्यीय एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें विभाग के प्रमुख, कुलपति द्वारा नामित एक पर्यवेक्षक और अन्य विषय-विशेषज्ञ होंगे। यदि शोध कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो उसका कार्यकाल एक वर्ष के लिये और बढ़ाया जा सकेगा। अगर समिति के द्वारा कार्य को संतोषजनक नहीं माना जाता है या उम्मीदवार पीएचडी से संबंधित किसी भी परीक्षा में विफल रहता है तो शोध छात्रवृत्ति बन्द किया जा सकेगा।

4. चयन प्रक्रिया :-

4.1

शोध छात्रवृत्ति हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन निम्नानुसार होगा -

- (i) कुलपति जी या उनके द्वारा नामित एक वरिष्ठ शिक्षक - अध्यक्ष
- (ii) कुलपति जी द्वारा नामित दो शिक्षक - सदस्य

4.2

शोध-छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त आवेदन-पत्रों का सूक्ष्म-परीक्षण उपकंडिका 4.1 के अनुसार गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति का कार्यकाल एक वर्ष के लिये होगा।

5.

इस नियम के तहत उत्पन्न किसी तरह के विवाद की स्थिति में कुलपति जी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा तथा इसे किसी भी न्यायालय में वाद का विषय नहीं बनाया जा सकेगा।

----- 000 -----

*R. W. Singh*

REGISTRAR  
of Students' Welfare (Open)  
University of Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

**POST DOCTORAL SCHOLARSHIP PAYMENT BILL**

Month..... Total No. of Vouchers .....

1. Name of the Scholarship holder : .....

2. Period sanctioned : .....

3. Number and date of the sanction : .....

4. Monthly value of Scholarship : Rs.10000/- (Ten Thousand) per month

5. Contingency ( 1500 per month) : .....

6. Total amounts claimed : .....

7. Work done so far : .....

I certify that I do not receive any financial assistance simultaneously.

Date .....

Signature of Scholarship holder

Certified that he/she was present at center  
during the above month on the dates as  
Shown above

Certified that the progress of work is

.....  
Note: - Maximum .....days leave admissible in a year.  
leave due from the date .....to.....  
leave sanction .....days  
leave balance .....days

Date .....

Date .....

Signature of Head

Research centre with seal

Signature of the Supervisor

**For Finance Department Use**

Passed for Rs ..... in words (.....)

Signature of Dealing Assistant

Signature of Finance Officer

Noted in scholarship ..... Register ..... Page .....

Date .....

Paid vide cheque No. .... Date ..... For Rs.....

## शोध छात्रवृत्ति हेतु आवेदन

1. शोधार्थी का नाम — .....
2. संकाय — .....
3. शोध-शीर्षक — .....
4. शोध निदेशक का नाम — .....
5. पंजीयन तिथि — .....
6. मोड (टिक करें) — नियमित पूर्णकालिक ☐  
नियमित अंशकालिक ☐
7. पी-एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है — हां ☐  
नहीं ☐

### घोषणा-पत्र

मैं यह शपथपूर्वक कथन करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त बिन्दु क्रं 01 से 07 तक की समस्त जानकारी सत्य है। असत्य या भ्रामक जानकारी की स्थिति में तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्रता निर्धारण के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय मुझे स्वीकार होगा।

दिनांक:

शोधार्थी के हस्ताक्षर

शोध निदेशक की टीप — .....

दिनांक:

शोध निदेशक के हस्ताक्षर

### कार्यालयीन उपयोग हेतु

छात्रवृत्ति स्वीकृत/ अस्वीकृत किया गया। छात्रवृत्ति प्रारम्भ होने की तिथि दिनांक ..... से।

हस्ताक्षर  
अध्यक्ष

हस्ताक्षर  
सदस्य

हस्ताक्षर  
सदस्य



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
( छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित )  
कोनी-बिरकोना मार्ग , बिलासपुर (छ.ग.) 495009  
www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्र./60 / अकादमी / 2018

बिलासपुर, दिनांक : 25/04/2018

### अधिसूचना

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के "शोध छात्रवृत्ति नियम, 2018" के अनुसार विश्वविद्यालय के पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में पंजीकृत ऐसे मेधावी शोधार्थी जिन्हें छ.ग. शासन अथवा किन्हीं अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है, को चिन्हित कर उन्नत अध्ययन एवं शोध कार्य हेतु वित्तीय सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है।

छात्रवृत्ति की राशि – प्रतिमाह रु.10,000/- तथा आकस्मिक व्यय रु.1,500/-

छात्रवृत्ति हेतु निम्नलिखित शोधार्थी पात्र होंगे-

1. ऐसे शोधार्थी जो पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में अध्यदेश क्रमांक 02 के अनुसार पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में नियमित पूर्ण कालिक शोधार्थी के रूप में विधिवत पंजीकृत हों। तथा
2. ऐसे शोधार्थी जिन्हें किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय या अन्य संस्थानों से पी-एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु किसी भी प्रकार से वित्तीय सहायता, फेलोशिप या छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है।

ऐसे शोधार्थी जो कि उपरोक्त पात्रता को पूर्ण करते हैं, शपथ पत्र (जो कि प्रमाणित करता हो की किसी अन्य माध्यम से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति छात्र को प्राप्त नहीं है) के साथ विश्वविद्यालय में संलग्न प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं।

विशेष – छात्रवृत्ति का नियमन "शोध छात्रवृत्ति नियम, 2018" के अनुसार होगा।

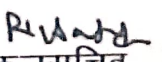
  
कुलसचिव

पृ.क्र. 6 / अकादमी / 2018

बिलासपुर दिनांक : 25/04/2018

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय सेवा प्रभाग को सूचनार्थ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी वित्त विभाग को सूचनार्थ।
4. विभागाध्यक्ष ..... की ओर सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सूचना को विभागीय सूचना पटल पर चरप्पा करेंगे तथा शोधार्थियों को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
5. वेब सेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करें।
6. कार्यालय प्रति।

  
कुलसचिव